

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273319
SG-DL-E-10062026-273319असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]	दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 69
No. 151]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948	[N. C. T. D. No. 69

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवन एवं वन्यजीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 10 जून, 2026

फा. सं. 11(97)/व.एवं.व.जी./डी.आर.एम.बी./2026-27/Pt-I/3392—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/1995, शीर्षक टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुल्पद बनाम भारत संघ व अन्य में आई.ए. संख्या 117204/2024 में पारित दिनांक 11.11.2025 के निर्णय के अनुसरण में, तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5518(ई) दिनांक 01.12.2025 के साथ पठित, माननीय उपराज्यपाल निम्नलिखित संरचना के साथ दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड (डी आर एम बी) का गठन करते हैं:

I. दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड की संरचना

1	मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य

3	वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण प्रभाग)(वन महानिदेशक और विशेष सचिव के प्रतिनिधि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)	सदस्य
4	संयुक्त सचिव (कार्य, सेंट्रल विस्टा, केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, सीईओ-कर्तव्य पथ) (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारत सरकार)	सदस्य
5	आयुक्त, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
6	अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	सदस्य
7	महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार	सदस्य
8	पुलिस आयुक्त दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
9	प्रधान सचिव/सचिव (पर्यावरण एवं वन), दिल्ली सरकार	सदस्य
10	प्रधान सचिव/सचिव (भूमि राजस्व), दिल्ली सरकार	सदस्य
11	श्री अरविंद माधव सिंह, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत्त) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सतत हरित अर्थव्यवस्था केंद्र (गैर-सरकारी संगठन/नागरिक समाज के प्रतिनिधि)	सदस्य
12	डॉ. मालविका कौल, निदेशक (अनुसंधान और संचार), संकला फाउंडेशन (गैर-सरकारी संगठन/नागरिक समाज के प्रतिनिधि)	सदस्य
13	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दिल्ली सरकार	सदस्य सचिव
14	श्री चंद्र प्रकाश गोयल, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत्त) केंद्रीय सशक्तता समिति के सदस्य (केंद्रीय सशक्तता समिति (सीईसी) के प्रतिनिधि)	सदस्य

II. दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड के कार्य

- क. बोर्ड दिल्ली रिज और मॉर्फोलॉजिकल रिज से संबंधित सभी मामलों में एकल खिड़की प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा;
- ख. बोर्ड सभी अतिक्रमण हटाकर तथा उनके संरक्षण और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करके दिल्ली रिज और मॉर्फोलॉजिकल रिज को उसकी पूर्वकालीन स्थिति में संरक्षण सुनिश्चित करेगा;
- ग. बोर्ड दिल्ली रिज के साथ-साथ मॉर्फोलॉजिकल रिज से सभी अतिक्रमण हटाएगा;
- घ. टीएन गोदावर्मन मामले में दिनांक 8 फरवरी, 2023 के आदेश के अनुसार मॉर्फोलॉजिकल रिज की पहचान पूरी हो गई है और इसके अनुपालन की रिपोर्ट किसी भी टिप्पणी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देगा;
- ङ. बोर्ड वनरोपण और पर्यावास संरक्षण सहित रिज और मॉर्फोलॉजिकल रिज की सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रबंधन और पारिस्थितिक बहाली सुनिश्चित करेगा;
- च. बोर्ड रिज और मॉर्फोलॉजिकल रिज की स्थिति और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में हर छह महीने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- छ. बोर्ड अपने कामों को सही और पारदर्शी तरीके से करेगा, जिसमें एक कार्यालयी वेबसाइट बनाना, सुनवाई के लिए पहले से सार्वजनिक सूचना जारी करना, सार्वजनिक परामर्श करना, और माननीय

सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण के सामने रिपोर्ट आते ही उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना शामिल है; और

- ज. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सभी प्राधिकरणों का दायित्व होगा कि वे बोर्ड के कार्यों में पूर्ण सहयोग करें।
- III. दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड के प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए केंद्रीय सशक्तता समिति के सदस्य, बोर्ड और उसकी स्थायी समिति के ठीक से काम करने के बारे में हर तीन महीने में माननीय सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधुरी, सचिव

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 10th June, 2026

F. No. 11(97)/F&WL/DRMB/2026-27/Pt-I/3392.— In pursuance of the judgment dated 11.11.2025 of the Hon'ble Supreme Court in I.A. No. 117204/ 2024 in W.P.(C) 202/1995 titled T.N. Godavarman Thirumulpad versus Union of India & Ors read with the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Gazette Notification no. S.O. 5518(E) dated 01.12.2025, the Hon'ble Lieutenant Governor of Delhi is pleased to constitute the Delhi Ridge Management Board (DRMB) with the following composition:

I. **Delhi Ridge Management Board (DRMB):**

1.	Chief Secretary, GNCT of Delhi	Chairman
2.	Vice-Chairman, Delhi Development Authority	Member
3.	Inspector General of Forests (Forests Protection Division), MoEF&CC (Representative of the Director General of Forests & Special Secretary, MoEF&CC, Government of India)	Member
4.	Joint Secretary (Works, Central Vista, CGEWHO, CEO-Kartavya Path) (Representative of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India)	Member
5.	Commissioner, Municipal Corporation of Delhi	Member
6.	Chairman, New Delhi Municipal Council	Member
7.	Director General, Central Public Works Department, Government of India	Member
8.	Joint Commissioner of Police, New Delhi Range (Representative of the Commissioner of Police, Delhi)	Member
9.	Principal Secretary/Secretary (Environment & Forests), GNCTD	Member
10.	Principal Secretary/Secretary (Land Revenue), GNCTD	Member
11.	Sh. Chandra Prakash Goyal, IFS (Retd.) Member of the CEC	Member
12.	Sh. Arvind Madhav Singh, I.F.S. (Retired) and CEO, Centre for Sustainable Green Economy (Representative of NGO/ Civil Society)	Member
13.	Dr. Malvika Kaul, Director (Research and Communications), Sankala Foundation	Member
14.	Principal Chief Conservator of Forests, GNCTD	Member Secretary

II. Functions of the DRMB

- a. The Board shall function as the single-window authority in all matters pertaining to the Delhi Ridge and the Morphological Ridge;
- b. The Board shall ensure the preservation of the Delhi Ridge and the Morphological Ridge in their pristine condition by removing all encroachments and by taking all necessary measures for their protection and improvement;
- c. The Board shall remove all encroachments in the Delhi Ridge as well as the Morphological Ridge;
- d. The Board shall duly ensure that the identification process of the Morphological Ridge is completed in accordance with the order dated 8th February, 2023 in T.N. Godavarman and shall report its compliance, along with any comments, to the Hon'ble Supreme Court;
- e. The Board shall ensure the protection, scientific management, and ecological restoration of the Ridge and the Morphological Ridge, including afforestation and habitat conservation;
- f. The Board shall submit periodic reports every six months to Hon'ble Supreme Court regarding the status of the Ridge and the Morphological Ridge and the compliance of the directions of the Hon'ble Supreme Court;
- g. The Board shall act fairly and transparently in the discharge of its functions, including maintaining an official website, issuing public notices for hearings in advance, conducting public consultations, and uploading reports on its website as soon as they are placed before Hon'ble Supreme Court or any other authority; and
- h. All authorities in the territory of the NCT of Delhi shall act in aid of the discharge of the duties of the Board.

- III.** The Member of the Central Empowered Committee designated as the representative to the DRMB shall report to the Hon'ble Supreme Court every three months regarding the proper functioning of the DRMB and its Standing Committee.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHUR, Secy.